

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

—:: आदेश ::—

सं० संख्या—पि०व०/३/क्षे०स्था०—२०—१९/२०२४—

पटना—१५, दिनांक—

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत निम्नांकित अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारियों को स्वयं के विवाह हेतु उनके द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर स्तंभ-३ में अंकित अवधि के लिए उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन स्वीकृत पर किया जाता है—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन	उपार्जित अवकाश की अवधि
1	2	3
1	नाजनीन मुस्तफा, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, शिवहर	04.05.2026 से 06.06.2026 तक (कुल 34 दिन)
2	मो० नदीमउद्दीन, अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना	

2—उक्त उपार्जित अवकाश बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं नियम-248 (क) तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-5208, दिनांक-25.05.1980 में निहित प्रावधान के आलोक में स्वीकृत किया जाता है।

3— संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उक्त पदाधिकारी के उपार्जित अवकाश अवधि तक के लिए आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रभार किसी अन्य पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

4— प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(सुषमा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—पि०व०/३/क्षे०स्था०—२०—१९/२०२४—

पटना—१५, दिनांक—

प्रतिलिपि—सभी संबंधित प्रमंडलीय उप-निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/कोषागार पदाधिकारी/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक—पि०व०/३/क्षे०स्था०—२०—१९/२०२४—

पटना—१५, दिनांक—

प्रतिलिपि—अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Signed by Sushma

Date: 28-04-2026 17:06:10

सरकार के उप सचिव।